रांची नगर निगम जल–प्रभार एवं
गृह जल संयोजन उप–नियम – 2013

पत्रांक :– दिनांक :–

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 592 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रांची नगर निगम रांची शहरी जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन हेतु निम्नलिखित उप–नियम बनाये जाते है :–

1. संक्षिप्त नाम क्षेत्र एवं प्रारंभ –
   (I) यह उपनियम रांची नगर निगम जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन उपनियम– 2013 कही जा सकेगी।
   (II) यह उक्त तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से रांची नगर निगम द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।
   (III) यह रांची नगर निगम क्षेत्र की अधिसीमा में प्रभावी होगी।

2. परिभाषा :– इस उपनियम में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो,
   (a) "अधिनियम" से अभिप्रेत है –झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011
   (b) "निगम क्षेत्र" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा रांची नगर निगम के लिए अधिसूचित क्षेत्र,
   (c) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची,
   (d) "वितरण" से अभिप्रेत है जल संवाहन का नली (पाईप) जो रांची नगर निगम की जलापूर्ति शाखा/कार्यकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित हो
   (e) "अभियंता" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता अथवा अन्य अभियंता जो रांची नगर निगम जलापूर्ति शाखा द्वारा अधिकृत हो
   (f) "निर्मित क्षेत्र" से अभिप्रेत है कुल निर्मित क्षेत्र जिसमें आच्छादित बालकोनी और गैरेज भी शामिल होगी,
   (g) "सर्विस पाइप" से अभिप्रेत है किसी गृह या संस्था को जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली से दिये गये जल संयोजन के लिये बिछाई गई पाईप एवं अन्य फिटिंग,
   (h) "घरेलू उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वैसे परिसर जो घरेलू उपभोग के लिये पेयजल का प्रयोग करता हो,
   (i) "वाणिज्यिक उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वह परिसर जो सामानो के प्रदर्शन, संचयन या थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये व्यवहृत होता हो और जिसमे भुगतान के विरूद्ध सेवा उपलब्ध होती हो,
   (j) "औद्योगिक उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वह परिसर या भवन जो पूर्ण या आंशिक रूप से सामग्रीयों के उत्पादन निर्माण (फेब्रिकेशन), मरम्मति, जोड़ने (ऐसेम्बली), परिष्करण के लिये उपयोग होता हो यथा :– ऐसेम्बलीप्लांट, प्रयोगशाला, उर्जाघर (पावरप्लांट), परिष्करणशाला (रिफाइनरी), धूमघर (स्मोक हाउस), दुग्धशाला कारखाना आदि,
   (k) "सांस्थिक एवं सरकारी उपभोक्ता" से अभिप्रेत है वैसे उपभोक्ता जो घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ता की श्रेणी में नही आते हो यथा :– सभी सरकारी भवन, अर्धसरकारी भवन, लोक उपक्रम के भवन, पर्षद प्राधिकार, स्थानीय – निकाय आदि, शिक्षण संस्थान, सरकार द्वारा अथवा सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र (मरीज सुविधा से रहित), बैंक (निजि क्षेत्र से अलग) आदि,
   (l) वैसे उपयोग किये गये शब्द या कथन जो इस उपनियम में परिभाषित नही हो उनका तात्पर्य (अर्थ) वही होगा जैसा की इस अधिनियम में परिभाषित किया गया हो,

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम – 2011 की धारा 197 एवं 198 के अन्तर्गत दिए गए निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्त्तों के अधीन किसी भी वितरण पाईप से किसी भी भवन में जल संयोजन कर सकेगा अथवा करवा सकेगा अथवा अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

(क) वैसे जल संयोजन सिर्फ तभी तक किए जा सकेंगे जब तक कि जल की पूर्ण गुणशाली आपूर्ती सुनिश्चित रहे।

(ख) वैसे किसी भी जल संयोजन की स्वीकृति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक की संबंधित व्यक्ति, जिसे जल संयोग प्राप्त करना है, वह विहित प्रपत्र उसके साथ जल संयोजन के नक्शे की चार प्रतियां जिसमें सर्विस पाईप की साईज एवं प्रकार तथा प्रस्तावित सभी फिटिंग्स जिसे बिछाया तथा लगाया जाना है उसके स्थान को लाल रंग से चित्रित किया गया हो उसे संलग्न करते हुए फोटो के साथ आवेदन करेंगे। जिसमें आवासीय/पहचान पत्र पता का प्रमाण पत्र संलग्न होगा। जल संयोजन हेतु नक्शा A4पेपर पर Not to Scale पर उपभोक्ता स्वयं बनवाकर देंगे जिसकी जॉच पाईप लाईन निरिक्षक/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता करेंगे। परंतु जल संयोजन स्वीकृत हो जाने के बाद रांची नगर निगम में निबंधित किसी पलम्बर से किसी भी क्षेत्र में जल संयोजन कराया जाएगा।

(ग) जल संयोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित आवेदन दिया हुआ व्यक्ति निम्नलिखित दर से रांची नगर निगम को संयोजन शूल्क का भुगतान नहीं करता है।

विवरणी	संयोजन शुल्क	
निर्मित क्षेत्र	गैर घरेलु	घरेलु
100 वर्ग मीटर तक	रू0 1,000/–	रू0 200/–
101 वर्ग मी0 से 200 वर्ग मी0 तक	रू0 1,200/–	रू0 500/–
201 वर्ग मी0 से 400 वर्ग मी0 तक	रू0 1,500/–	रू0 700/–
400 वर्ग मी0 से अधिक	रू0 2,000/–	रू0 1,000/–

(घ) रांची नगर निगम द्वारा आवंटित होल्डिंग नं0, सुविधा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित मकान संख्या के अतिरिक्त निम्नांकित कागजातों में से किसी दो के आधार पर जल संयोजन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। –

(i) आवेदक के नाम से निर्गत आधार कार्ड।
(ii) आवेदक के नाम से विद्युत संयोजन संबंधी साक्ष्य।
(iii) आवेदक के नाम से दूरभाष विपत्र।
(iv) आवेदक के नाम से गैस कनेक्शन संबंधी साक्ष्य।
(v) आवेदक के नाम से निर्गत मतदाता पहचान पत्र।
(vi) पैन कार्ड
(vii) बैंक / पोस्ट ऑफिस का खाता का पास बुक
(viii) ड्राईविंग लाईसेंस
(ix) राशन कार्ड

उपरोक्त क्रमांक –(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix)की श्रेणी में आने वाले आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा, कि वे उस मकान में

(a) किरायेदार या,

(b) लीजधारक या,

(c) भूमि का विधिवत् स्वामित्व प्राप्त है, परन्तु किसी कारणवश मकान का नक्शा निगम से स्वीकृत नहीं हैया,

(d) भूमि का विधिवत् स्वामित्व नहीं है परंतु उक्त मकान उनके द्वारा निर्मित है और उस पर उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है या,

(e) मकान का मौखिक बंटवारा अन्य हिस्सेदारों के द्वारा हो चुका है परन्तु अलग होल्डिंग संख्या अबतक नहीं प्राप्त किये गये है।

परंतु यह कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/लोक उपक्रमों की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये भवनों को जल संयोजन प्रदान नहीं किये जायेंगे।

(ड.) धारा – 3(घ) की कंडिका –(i)से (ix) के अधीन जल संयोजन प्रदान करने की अनुमति देने का अर्थ मकान या जमीन का स्वामित्व निर्धारित नहीं होगा। बल्कि यह सिर्फ जल संयोजन एवं जल प्रभार प्राप्त करने के लिए होगा। उपरोक्त कंडिका –(i)से (ix) के अन्तर्गत् जल संयोजन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्धारित जल संयोजन शुल्क के अतिरिक्त सुरक्षित राशि के रूप में 2,000/– रू0 (आवासीय उपयोग हेतु) एवं 5,000/– (गैर आवासीय उपयोग हेतु) जमा करने होंगे, जो जल संयोजन विच्छेद करने की स्थिति में बिना किसी ब्याज के लौटाने योग्य होंगे।

(च) निजी बहुमंजिली ईमारतों में अगर आपसी बंटवारा के बाद अपने अपने हिस्से का अलग अलग होल्डिंग कराया हो या रजिस्टर्ड बंटवारा का डीड रहे या आपसी बंटवारा का सहमति पत्र हो तो प्रत्येक तल/भाग के लिए अलग अलग जल संयोजन दिया जाएगा।

4 (1) वितरण पाईप से संयोजन निम्न द्वारा किया जा सकेगा :–

(क) उपभोक्ता अपने घर से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप वितरण पाईप तक स्वयं के खर्च पर अपने देख–रेख में निगम में सूचिबद्ध किसी पलम्बर द्वारा अपना सर्विस पाईप बिछवायेंगे तथा रांची नगर निगम के पी0 एल0 आई0/कनीय अभियंता की उपस्थिति में फेरूल संयोजन करायेंगे।

(ख) किसी उपभोक्ता द्वारा जल संयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिए जाने तथा संयोजन के लिए निर्धारित शुल्क जिसमे सामग्री का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा उसे जमा करने के उपरांत ही जल संयोजन प्रदान करेगी।

(ग) सभी जल संयोजन Water-Meter युक्त होंगे जिसे उपभोक्ता स्वयं के खर्च पर लगायेंगे जो भवन परिसर में ही बने एक छोटे चैम्बर याSurface Box में सुरक्षित रखा जाएगा एवं निगम कर्मचारियों के निरीक्षण के लिए सदा उपलब्ध होगा।

(घ) जल संयोजन की सूचना उपभोक्ता को स्वयं लिखित रूप में जल पर्षद को देनी होगी।

5. सर्विस पाईप उच्च गुणवत्ता के होंगे तथा 60.00 Meter Water Presure सह सकने के योग्य होंगे। साथ ही सर्विस पाईप यदि Drain से गुजरे तो उपभोक्ता को उतने भाग में G. I. Casing पाईप देना अनिवार्य होगा।

6. सभी फिटींग यथा – नल, फेरूल, स्टाप–कॉकस आदि मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत मानकों के होगें और उसी गुणवता के होगे जैसा कि एक नमूना रांची नगर निगम कार्यालय में रखा गया होगा।

7. सेवा नली (पाईप) में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

(क) वितरण नली में लगा हुआ पीतल या गन मेटल का फेरूल,

(ख) उच्च गुणवत्तायुक्त सर्विस पाईप

(ग) एक स्टाप–कॉक एवं सतही डिब्बा (सरफेस बाक्स),

(घ) नल एवं अन्य नली तथा जोड़ सामग्री एक मीटर, एक मीटर चैम्बर और एक सतही डिब्बा (सरफेस बाक्स)।

(ड.) निम्न गुणवत्ता के सर्विस पाईप लगाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा पाए जाने पर जल संयोजन काट दिया जाएगा। कारण कि निम्न गुणवत्ता के सर्विस पाईप के कारण जल प्रदुषण की संभावना ज्यादा होगी।

8. (क) जल संयोजन, रांची नगर निगम द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, जांच और अनुमोदन से ही उसके आदेश के पश्चात् उसके द्वारा नियत समय और स्थान पर किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त नियम 03, 04 और 08 (क) में किये गए प्रावधान के बावजूद वितरण प्रणाली से उपभोक्ता को जल का संयोजन, मीटर अधिष्ठापन, जल शुल्क का संग्रहण, जल वितरण प्रणाली के संधारण कार्य, रांची नगर निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानो के अधीन किसी बाहरी संस्थान अथवा अन्य एजेन्सी द्वारा भी कराया जा सकेगा।

9. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फेरूल की माप निम्न से ज्यादा नहीं होगी,

निर्मित क्षेत्र	**फेरूल का व्यास**
100 वर्ग मी0 से कम	06 एम0 एम0
100वर्ग मी0 से ज्यादा तथा 200वर्ग मी0 से कम	10 एम0 एम0
200वर्ग मी0 से ज्यादा 400 वर्ग मी0 से कम	12 एम0 एम0
400 वर्ग मी0 से ज्यादा	16 एम0 एम0

रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा प्राधिकृत किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा इन मानकों में परिवर्तन बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

10. (क) सभी जल संयोजन Water Meter युक्त होंगे तथा उपभोक्ताओं द्वारा जल–चार्ज निम्नवत् देय होगा। Water - Meter बंद हो जाने पर पुनः इसके बदलने की जवाबदेही उपभोक्ता की होगी, अन्यथा औसत पठन से 25% पठन बढ़ाकर जल–कर देय होगा। छः माह बाद जल संयोजन कांट दिया जाएगा।

क्रमांक	प्रकार	संयोजन चार्ज	जल चार्ज
1	घरेलु दोनों ही एकांगी एवं बहु मंजिलि इमारत	3 (ग) के अनुरूप	6/– रू0 प्रति कि0 ली0
2	संस्थागत/सरकारी	2,000/– रू0	रू0 10/– प्रति कि0 ली0
3	वाणिज्यिक	3,000/– रू0	रू0 15/– प्रति कि0 ली0
4	**औद्योगिक**		
(क)	एस0एस0आई0 यूनिट	3,000/– रू0	रू0 15/– प्रति कि0 ली0
(ख)	लघु उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योग	10,000/– रू0	रू0 20/– प्रति कि0 ली0

(ख) पूर्व से बिना मीटर के लगे सभी जल संयोजनों को भी मीटर युक्त कराना बाध्यकारी होगा (दिनांक : 31.12.2013 तक)। Transition Period में होल्डिंग से सम्बन्धित मांग पंजी में उल्लेखित निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर जल प्रभार निम्न प्रकार से लिया जायेगा।

निर्मित क्षेत्र	जल कर
100 वर्ग मीटर तक	रू0 200/– प्रति माह
101 वर्ग मी0 से 200 वर्ग मी0 तक	रू0 300/– प्रति माह
201 वर्ग मी0 से 400 वर्ग मी0 तक	रू0 500/– प्रति माह
400 वर्ग मी0 से अधिक	रू0 750/– प्रति माह

(2) उपभोक्ता को निर्धारित तिथि के अन्दर जल कर विपत्र का भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जायगा। यह ब्याज निर्धारित तिथि के बाद की अगली तिथि से माह की गणना होगी एवं 01 दिन के विलम्ब को भी एक माह का विलम्ब माना जायेगा।

(3) तीन महीनों तक विपत्र का भुगतान नहीं करने पर जल संयोजन काट दिया जायगा तथा पुर्न संयोजन हेतु अद्यतन जल कर भूगतान के साथ 1000/–रू0 अधिभार देना होगा ।

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) में अंकित जल कर प्रत्येक तीन वर्ष पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए मार्च' 13 के थोक मुल्य सूचकांक कोBase Valueमाना जाएगा।

11. **जल संयोजन का नामांतरण**

यदि गृह स्वामी का नामांतरण होता है तब नया गृह स्वामी जल संयोजन का नामांतरण हेतु 100/–रू0 शुल्क के साथ सादा कागज पर यथा निम्न दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ एक आवेदन देगा :

(i) दाखिल खारिज नामांतरण,
(ii) विक्रय पत्र ,
(iii) शपथ – पत्र
(iv) अन्य कोई संबंधित कागजात,

12. अनाधिकृत जल संयोजन का विनियमन

(क) रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा वर्त्तमान में अनाधिकृत जल संयोजनों को इस निमित्त अधिसूचित तिथि के पूर्व निम्न शुल्क के साथ आवेदन लेकर नियमित या वैध किया जा सकेगा।

(i) दण्ड 1,000/– रू0

(ii) संयोजन शुल्क जैसा कि नियम 03 एवं 10 में वर्णित है अन्य सभी आवश्यक कागजातों के साथ।

(ख) रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा अधिसूचित तिथि के पूर्व विनियमन नहीं करने वाले गृहस्वामियों का जल संयोजन काटने के साथ उनके विरूद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 208 एवं 218 के तहत् कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गृह स्वामी और अध्यासी संयुक्त रूप से या अलग–अलग भी अपराध के भागी होंगे तथा अधिफल 10,000/– रू0 जूर्माना लगाया जाएगा।

13. पूर्व से बिना मीटर के लगे सभी जल संयोजनों में Water Meter लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए पूर्व के उपभोक्ताओं को अद्यतन जलकर जमा करना होगा। तदोपरान्त् वाटर मीटर लगाने के लिए आवेदक सादे कागज पर अपना अभ्यावेदन देंगे, जिसपर रांची नगर निगम अभियंता स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा आवेदक स्वयं के खर्च पर अपना वाटर मीटर खरीदकर रांची नगर निगम अभियंता से मीटर कार्ड निर्गत कराऐंगे। संयोजन शुल्क में अगर अंतर होगा तब अंतर राशि की भरपायी उपभोक्ता करेंगे।

14. रांची नगर निगम के अभियंता के पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक पथ के निकट स्टैन्ड पोस्ट/चापाकल नहीं लगाये जायेंगे जबतक कि छिड़के हुए जल के बहाव का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित नही हो जाए। परन्तु स्थानीय निकाय के निर्देश पर सार्वजनिक सड़क के निकट स्टैन्ड पोस्ट लगाए जा सकेगे ।

15. **कठिनाई को दुर करने की शक्ति :–** यदि इन नियमों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगा कि वह इस मामले में इन नियमों के सारतत्व को प्रभावित किए बिना कोई निर्देश जारी कर सकेगा।

16. इस उपनियम के प्रवृत होने के पूर्व एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अधिसूचन तिथि के मध्य रांची नगर निगम (जल पर्षद) कार्य संधारण एवं जल अधिभार एवं गृह जल संयोजन नियमावली – 2006 के अधीन किये गये सभी कर्त्तव्यों, कृत्यों एवं जल प्रभार की वसूली आदि कार्य को वैध किया जाता है।

पारित संशोधन

उपस्थापित उक्त उपनियम के प्रावधानों में निगम बोर्ड की साधारण बैठक (दिनांक–22/05/13) में निम्नांकित संशोधन का निर्णय लिया गया है:–

1. कंडिका 3(घ)(e) का यह अंश विलोपित किया गया।
"परंतु यह कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/लोक उपक्रमों की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये भवनों को जल संयोजन प्रदान नहीं किये जायेंगे।"

2. कंडिका 3(क) – राँची नगर निगम में निबंधित किसी पलंबर से किसी भी क्षेत्र में जल संयोजन कराया जायेगा को निम्न प्रकार से प्रतिस्थानी किया जाता है :–
निगम में सुचिबद्ध किसी भी पलम्बर से जल संयोजन कराया जा सकता है पलम्बर के निबंधन की कार्यवाई 175/– रु0 शुल्क ले कर सालों भर जारी रहेगा।

3. कंडिका 4(1)(घ) में जल संयोजन की सूचना उपभोक्ता को स्वयं लिखित रुप में जल पर्षद को देनी होगी के स्थान पर – "जल संयोजन की सूचना उपभोक्ता को स्वयं लिखित रुप में राँची नगर निगम को देनी होगी।"

4. कंडिका 11 की क्रम संख्या (1),(2) को विलोपित किया गया।

5. कंडिका 13 में वाटर मीटर के पूर्व I.S.I. मार्क अंकित होगा।

यह उपनियम दिनांक 01/06/2013 से प्रभावी होगा।

ह0/–

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
राँची नगर निगम, राँची।